न्यायालयः— अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 कामां डीग

पीठासीन अधिकारी : निलोफर तोमर, आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण सं. : 93/2026

सी.आई.एस. नं. : 3143/2026

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

बनाम

1. अनुग्रह शरण शर्मा पुत्र डॉ. मधुरेश शरण शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ए—20 जानकी विहार धावास रोड़, जयपुर

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 85, 316(2) बीएनएस

उपस्थित :—

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद रोहिला, अभियुक्त की ओर से।

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—09.07.2026**

1. इस निर्णय के द्वारा पुलिस थाना कामां की एफ.आई.आर सं. 605/2025 में प्रस्तुत आरोप पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया विपासा पारीक उर्फ वंसिका ने एक परिवाद पत्र इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि परिवादिया की शादी दिनांक 30.11.2020 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अभियुक्त अनुग्रह शरण शर्मा के साथ कस्बा कामां में सम्पन्न हुई थी। मुलजिम सं. 1 परिवादिनी का पति, मुलजिम सं. 2 परिवादिनी का ससुर व मुलजिम सं. 3 परिवादिनी का देवर व मुलजिम सं. 4 परिवादिनी की ननद है जो सभी सम्मिलित रूप से एक ही परिवार में रहते हैं। परिवादिनी के पिता ने शादी के वक्त दहेज में फ्रिज, कूलर, डबल बैड, वासिंग मशीन, अनाज की कोठी, सिलाई मशीन, आटा चक्की, सौफा सैट, 30 जोड़ी कपड़ा, कानों के टॉप्स सोने के बजनी पांच ग्राम, नथ वजनी पांच ग्राम, पायल चांदी के वजनी 200 ग्राम व 252 बर्तन, व 5,51,000/—रुपये नकद देकर राजीखुशी विदा किया था जो उक्त सभी सामान परिवादिनी का स्त्रीधन है जो मुलजिम सं. 1 लगायत 4 को सौंप दिया जो सम्मिलित एक ही परिवार में रहते हैं। जब परिवादिनी शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंची तो मुलजिमान सं. 1 लगायत 4 ने परिवादिनी को उलाहना दिया कि तेरे पिता ने हमारी हैसियत के मुताबिक दहेज में क्रेटा गाडी व एक लाख रुपये नकद नहीं दिये और हमारा लड़का

लूट लिया है और हमारी बिरादरी में तोहिन हो गई है। अबकी बार पीहर जाओ तो अपने पिता से दहेज में क्रेटा गाडी व एक लाख रुपये नकद लेकर आना नहीं तो हम तुझे घर में नहीं घुसने देंगे और परिवादिनी को जान से खत्म कर देंगे। जब परिवादिनी ससुराल से वापिस अपने पीरह कामां आयी तो उक्त मुलजिमान सं. 1 लगायत 4 द्वारा की गई दहेज की मांगों के बारे में अपने पिता व परिवारजनों को बताया। परिवादिनी के पिता ने कहा कि अभी नई—नई शादी हुई है हम उनको समझा बुझा देंगे और परिवादिनी अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखते हुए समय—समय पर ससुराल व पीहर आती जाती रही और मुलजिमान सं. 1 लगायत 4 द्वारा दी जा रही शारीरिक व मानसिक पीडाओं को सहन करती रही और उक्त मुलजिमान परिवादिनी को खाने को रोटी भी नहीं देते और एक गिलास लस्सी से अपना गुजारा करती रही और परिवादिनी को बची हुई सड़ी सब्जी खाने के लिए दी जाती थी। इस सब कष्टों को परिवादिनी सहन करती रही। करीब 6 माह पूर्व उक्त मुलजिमान सं. 1 लगायत 4 ने परिवादिनी के साथ बुरी तरह मारपीट की व परिवादिन के ससुर मधुरेश शरण शर्मा ने परिवादिनी को चुटिया पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और मुलजिम सेलेन्दर ने परिवादिनी के साथ अश्लील हरकत कर कपड़े पकड़कर बेअबद कर दिया और मुलजिम अनुग्रह शरण शर्मा ने परिवादिनी को जान से मारने की नीयत से परिवादिनी की गर्दन दबा दी और परिवादिनी के साथ उक्त सभी मुलजिमान सं. 1 लगायत 4 ने थाप थप्पड़ व लात घूंसो से परिवादिनी के साथ बुरी तरह मारपीट की और परिवादिनी को भूखे पेट नंगे पैर घर से धक्का देकर भगा दिया ओर ऐलानियां कहा कि जब तक परिवादिनी दहेज में एक लाख रुपये नकद व क्रेटा गाड़ी नहीं लेकर आयेंगे तब तक हम परिवादिनी को घर में नहीं घुसने देंगे। परिवादिनी रोती बिलखती हुई अपने पिता के पास आई और उक्त सारी घटना अपने पिता व परिवारजनों को बतायी। करीब 5 महिने पहले परिवादिनी का पिता परिवादिनी को साथ लेकर एवं मौजूदा व्यक्ति गोविन्द नारायण पारीक, सुरेश, जगदीश सैनी व चन्द्रशेखर पत्रकार वगै. आदि पंचों को साथ लेकर परिवादिनी के ससुराल जयपुर गये। वहां मौजूदा व्यक्तियों को इकठ्ठा किया तथा उक्त मुलजिमानों को बुलाया तथा परिवादिनी के साथ मारपीट करने की वजह पूछी तो उक्त मुलजिमानों ने ऐलानियां कहा कि तब तक परिवादिनी दहेज में एक लाख रुपये नकद व क्रेटा गाड़ी नहीं लायेगी तब तक हम परिवादिनी को घर में नहीं घुसने देंगे। इस पर परिवादिनी के पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मैने शादी के वक्त अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था अब मेरी सामर्थ तुम्हारी उक्त दहेज की मांगों को पूरा करना नहीं है। साथ गये व्यक्तियों ने भी काफी समझाईश की

लेकिन उक्त मुलजिमान अपनी नाजायज दहेज की मांग पर अड़े रहे और साथ गये मौजूददा पंचों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और ऐलानियां दहेज की मांग में एक लाख रुपये नकद व क्रेटा गाड़ी की मांग की व घर में रखने से साफ मना कर दिया और इस पर परिवादिनी ने परिवादिनी के पिता द्वारा दिया गया सामान व जेवरात जो परिवादिनी कस स्त्रीधन है, वापिस मांगा तो उस भी देने से इंकार कर दिया। दिनांक 25.08.2025 को उक्त मुलजिमान सं. 1 लगायत 4 कस्बा कामां आये और परिवादिनीके पिता ने घर ले जाकर आदर सत्कार किया और परिवादिनी को ले जाने बाबत् कहा तो उक्त मुलजिमान ने ऐलानियां कहा कि जब तक परिवादिनी दहेज में एक लाख रुपये नकद व क्रेटा गाड़ी नहीं लायेगी तब तक हम परिवादिनी को घर में नहीं घुसने देंगे और दो चार दिन में परिवादिनी पर झूंठे आरोप लगाकर तलाक पिटीशन डालेंगे और फिर हम परिवादिनी को किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे और परिवादिनी को रखने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर परिवादिनी के पिता द्वारा दिया गया दहेज में सामान व नगदी व जेवरात जो परिवादिनी का स्त्रीधन है, वापिस मांगा तो उसे भी देने से इंकार कर दिया। परिवादिनी उक्त वाके की रिपोर्ट करने दिनांक 16.11.2025 को पुलिस थाना कामां पर गयी परन्तु थाने वालों ने प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और अदालत से आदेश लाने बाबत् कहा.....इत्यादि। उक्त इस्तागासा न्यायालय में पेश होने पर न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत पुलिस थाना कामां को भिजवाया गया जिस पर पुलिस थाना कामां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 605/2025 अन्तर्गत धारा 85, 316(2), 74, 115(2), 126(2) बीएनएस में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त अनुग्रह शरण शर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 85, 316(2) बीएनएस का आरोप पत्र दिनांक 08.04.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर धारा 85, 316(2) बीएनएस के तहत प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाये जाने पर उक्त धाराओं के अपराध की विशिष्टियां अभियुक्त को पृथक से विरचित कर सुनायी व समझायी गयीं, जिसे अभियुक्त ने सुन—समझकर अपराध से इन्कार करते हुये अन्वीक्षा चाही।

4. दिनांक 21.05.2026 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से मुलजिम मुबारिक को बरूवे राजीनामा अंतर्गत धारा 316(2) बीएनएस के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू—01 विपाशा पारीक उर्फ वंशिका को परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में इस्तगासा प्रदर्श पी—1, परिवादिया विपाशा के पुलिस बयान प्रदर्श पी—2 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना और उसे झूठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। इसी प्रक्रम पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है किः—

7. आया अभियुक्त ने परिवादिया के पति होते हुए दहेज कम लाने के उसे ताना देते थे एवं दहेज में उससे एक लाख रुपये एवं क्रेटा गाड़ी की मांग की गई एवं मांग की पूर्ति न होने पर उसको दहेज की खातिर तंग व परेशान किया जाकर मारपीट किया एवं उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कारित किया एवं उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ?

यदि हां तो अभियुक्त का उचित दण्ड क्या होगा ?

8. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता अभियुक्त की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन साक्ष्यगण के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

10. अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह ने घटना की ताईद नहीं की है। उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप प्रमाणित नहीं है। अभियोजन की ओर से केवल एक गवाह परीक्षित हुआ है, जो पक्षद्रोही है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कहानी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोप में दोषमुक्त किया जावे।

उभय पक्षकारान् की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर परिवादिया के पति होते हुए दहेज कम लाने के उसे ताना देते थे एवं दहेज में उससे एक लाख रुपये एवं क्रेटा गाड़ी की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर उसको दहेज की खातिर तंग व परेशान किया जाकर मारपीट कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कारित करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे आरोप लगाये गये हैं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से स्वयं परिवादिया को परीक्षित करवाया गया है। परिवादिया विपाशा पारीक उर्फ वंशिका के बयान पी.डब्ल्यू—14 के रूप में लेखबद्ध किये गये, जो अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त के साथ मनमुटाव हो जाना स्वीकार करती है। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है, जो अभियोजन द्वारा की गई जिरह में अभियुक्त द्वारा दहेज में एक लाख रुपये व क्रेटा गाड़ी की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करती है। उसके पुलिस ने बयान नहीं लिये। आगे यह गवाह स्वीकार करता है अनुग्रह से उसका राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में यह गवाह राजीनामा के तहत उसने व अनुग्रह ने 13बी के तहत तलाक हेतु याचिका परिवाद न्यायालय कामां में पेश करना स्वीकार करती है। आगे यह गवाह स्वीकार करती है इनके मध्य कोई विवाद नहीं है और ना ही इनका एक दूसरे पर कोई सामान जेवर स्त्रीधन बकाया है।

12. इस प्रकार पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से स्वयं परिवादिया को परीक्षित करवाया गया है, जो पक्षद्रोही घोषित हुई हैं। यह गवाह अभियोजन द्वारा की गई जिरह में द्वारा दहेज में एक लाख रुपये व क्रेटा गाड़ी की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करती है। आगे यह गवाह स्वीकार करते है उनका राजीनामा हो गया है। प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी जिसके द्वारा अनुसंधान किया गया है, न्यायालय में बयान हेतु उपस्थित नहीं आया है। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाया गया है, जो अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित कर सके। अतः अभियुक्त अनुग्रह शरण शर्मा को अंतर्गत धारा 85 बीएनएस के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

13. अतः अभियुक्त अनुग्रह शरण शर्मा को आरोपित अपराध धारा 85 बीएनएस के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. दिनांक 21.05.2026 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से मुलजिम

अनुग्रह शरण शर्मा को बरूवे राजीनामा अन्तर्गत धारा 316(2) बीएनएस के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

15. अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानत व मुचलकों से भिन्न हाजरी बाबत जमानत व मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(नीलोफर तोमर)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.1, कामां

16. निर्णय आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(नीलोफर तोमर)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.1, कामां